UPMB010004282022

न्यायालय— अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0—01 / विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 अधिनियम, महोबा।

पीठासीन अधिकारी— राजीव कुमार पालीवाल (एच0जे0एस0)

विशेष वाद सं0—22 / 2022

CNR No.-UPMB010004282022

मु0अ0सं0—521 / 2021

राज्य बनाम हृदेश समाधिया

08.04.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण आदेश हेतु नियत है। अभियुक्त हृदेश समाधिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—227 / 228(1)ए दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त हृदेश समाधिया बेकसूर है। उसे मुहल्ले की रंजिश के कारण झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किये गये हैं कि घटना वाले दिन समय 3:00 बजे अभियुक्त महोबा से अपने ग्राम मामना जा रहा था, तभी रास्ते में सिद्धबाबा पहाड़ के नीचे उसे 3—3 लोगों ने रोका और उसके दोनों मोबाईल छीन लिये और जब अभियुक्त ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गयी। इस घटना की रिपोर्ट स्थानीय थाने में एन0सी0आर0 संख्या—115 / 2021 अन्तर्गत धारा—323 भा0दं0सं0 में दर्ज करायी गयी थी तथा जिला चिकित्सालय महोबा में मारपीट में आयीं तीन चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराया गया था। घटना दिनांक को अभियुक्त के मोबाईल को छीनकर वादी मुकदमा के लड़कों व उसके साथियों द्वारा मारपीट की गयी और मुकदमें से बचने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध झूंठा लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया जिसमें स्थानीय पुलिस ने सही विवेचना न कर बिना किसी युक्तियुक्त आधार पर आरोप पत्र संख्या—73 / 2022 धारा—147, 354घ, 323, 325, 392 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया, जबकि अभियुक्त के कब्जे से लूट का कोई भी माल बरामद नहीं हुआ है। वादी मुकदमा के पुत्र कपिल चौरसिया ने अपने बयान अन्तर्गत धारा—161 दं0प्र0सं0 में बताया है कि घटना दिनांक को घ टना स्थल पर अभियुक्त व कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई थी। इस मारपीट में

उसकी पत्नी श्रीमती हिमांशी बीच–बचाव कर रही थी। इसी मारपीट में हिमांशी का मंगलसूत्र व हार कहीं गिर गया जिसे उनमें से कोई लेकर चला गया, कौन ले गया, वह नहीं जानता।

कपिल चौरसिया के कथनों के अनुसार अपराध लूट की परिधि में नहीं आता है। वादी के पुत्र गौतम चौरसिया ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 के मजीद बयान में बताया है कि घटना दिनांक को वह घटना स्थल पर पहुंचा, तब उसके पास 22,000 / –रूपये नहीं थे, बल्कि खर्चे के लिए केवल 1,000 / –रूपये उसकी जेब में पड़े थे जिसकी जानकारी उसके पिता मुकदमा वादी व भाभी को नहीं थी तथा उसके साथ हुई मारपीट को देखकर क्षुब्ध होकर लूटपाट की बात बताई है। पीड़िता हिमांशी ने धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने पति के साथ अपने नव–निर्माण वाले मकान में गयी थी तो कुछ लोग उसका व उसके पति का वीडियो बनाने लगे। विरोध करने पर सभी लोग उसके पति को मारते हुए बाहर ले गये। उसने फोन करके अपने देवर को बुलाया था और उन लोगों ने हिमांशी चौरसिया का मंगलसूत्र व हार छीन लिया। पीड़िता द्वारा घटना स्थल पर उसका हार छीन लिया जाना बताया है, परन्तु घटना स्थल पर किस व्यक्ति ने लूट की घटना कारित की, यह नहीं बताया है जिससे अभियुक्त द्वारा लूट की घटना कारित करना साबित नहीं है और लूट का अपराध नहीं बनता है।

अभियुक्त की ओर से उसे अन्तर्गत धारा–392 भा0दं0सं0 के अपराध से उन्मोचित कर अन्य धाराओं में आरोप विरचित कर धारा–228(1)ए दं0प्र0सं0 के प्राविधान के अनुसार प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा के न्यायालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी है।

अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में अभियुक्त की ओर से स्वयं का शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में राज्य की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता तथा अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि अभियुक्त हृदेश समाधिया द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक घटना कारित की गयी। अन्य सहअभियुक्तगण की गिरफ्तारी शेष है और माल की बरामदगी होना भी शेष है। विवेचक द्वारा अभियुक्त हृदेश समाधिया के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–147, 354घ, 323, 392, 325 भा0दं0सं0 विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, शेष अभियुक्तगण के

विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। विवेचक द्वारा विधि के अनुक्रम में विवेचना सम्पादित करते हुए अभियुक्त हृदेश समाधिया के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है और इस स्तर पर न्यायालय को केवल इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक है कि आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्ट्या आधार हैं या नहीं, आरोप के स्तर पर न्यायालय द्वारा कोई ऐसा विनिश्य प्रकट नहीं किया जा सकता जो प्रकरण के गुणदोष के आधार पर होने वाले निराकरण को प्रभावित करता हो।

अपने उक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—227 / 228(1)ए दं0प्र0सं0 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी।

अभियुक्त पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखे गये कि विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा—161 दं0प्र0सं0 जो साक्षियों के बयान अंकित किये गये हैं, वह विरोधाभासी हैं और उनके बयानों से लूट की घटना होने का तथ्य प्रथम दृष्ट्या दर्शित नहीं होता है। यहां तक कि स्वयं वादी मुकदमा के पुत्र गौतम चौरसिया ने तो अपने धारा—161 दं0प्र0सं0 के मजीद बयान में यह भी कथन किये हैं कि मारपीट से क्षुब्ध होकर उन लोगों ने लूटपाट होने की बात लिखायी है।

अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से भी स्थानीय थाने में एन0सी0आर0 संख्या—115 / 2021 दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में तर्क रखते हुए यह भी तर्क रखे हैं कि अभियुक्त हृदेश समाधिया अन्तर्गत धारा—227 दं0प्र0सं0 धारा—392 भा0दं0सं0 के आरोप से उन्मोचित होने योग्य है और प्रकरण अन्तर्गत धारा—228(1)ए दं0प्र0सं0 के प्राविधान के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा के यहां प्रेषित होने योग्य है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली तथा विधि के प्राविधानों का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

विधिक प्राविधान के अनुसार यदि विचार करें तो धारा—227 दं0प्र0सं0 के प्राविधान के अनुसार—

यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गयी दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्व करेगा।

धारा—228 दं0प्र0सं0 के प्राविधान के अनुसार— (1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार, और सुनवाई के पश्चात् न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने

का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, जो–

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है (या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त को, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट) उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा;

(ख) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा।

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जायेगा और अभियुक्त से यह पूछा जायेगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है।

उक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि आरोप के स्तर पर धारा 227 व 228 दं0प्र0सं0 के प्रावधान के अनुसार विचार करते समय न्यायालय केवल इस तथ्य पर विचार करेगा कि जो अभिलेख व दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, उनके सम्यक् रूपेण परिशीलन के उपरांत अभियुक्त के विरूद्व सत्र न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने के तथा आगे सत्र न्यायालय स्तर पर विचारण करने के **प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार** हैं या नहीं। यदि अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं और मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो न्यायालय आगे कार्यवाही अग्रसारित करते हुए अभियुक्त पर सम्बन्धित धाराओं में आरोप विरचित करेगी तथा आगे विचारण को अग्रसर होगी। यदि प्रथम दृष्टया अभियुक्त पर आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं तो स्पष्ट रूप से ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुए अभियुक्त को उन्मोचित करेगी। यदि प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय न हो तो सत्र न्यायालय आरोप विरचित कर मामले को विचारण हेतु मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकती है।

उन्मोचन के प्रार्थनापत्र की सुनवाई के स्तर पर या आरोप के स्तर पर न्यायालय द्वारा **मिनीट्रायल नहीं** की जा सकती।

स्टेट ऑफ तमिलनाडू द्वारा इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस विजिलेंस एण्ड एन्टी करप्शन बनाम एन. सुरेश राजन व अन्य (2014)11 एस.सी.सी. 709 के मामले में मा0

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न आशय का न्यायदृष्टांत प्रतिपादित है–

At the stage of consideration of an application for discharge,the court has to proceed with an assumption that the meterials brought on record by the prosecution are true and evaluate the said materials and documents with a view to find out whether the facts emerging there from taken at their face value disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. At this stage,probative value of the materials has to be gone into and the court is not expected to go deep into the matter and hold that the materials would not warrant a conviction-What needs to be considered is whether there is a ground for presuming that the offence has been committed and not whether a ground for convicting the accused has been made out-To put it differently,if the court thinks that the accused might have committed the offence on the basis of the materials on record on its provative value, it can frame the charge;though for conviction the court has to come to the conclusion that the accused has committed the offence.The law does not permit a mini trial at this stage.

दुर्गेश कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ यूपी (इलाहाबाद) 2011 (2) जे.सी.आर. सी. 1125 के प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है कि आरोप बनाते समय यह आवश्यक नहीं है कि साक्ष्य का आंकलन कर सच्चाई का पता लगाया जाये। यदि गम्भीर संदेह भी उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में भी अभियुक्त के विरूद्व आरोप बनाना चाहिये तथा अभियोजन को अपना वाद अभियुक्त के विरूद्व सिद्व किये जाने का एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

जय प्रकाश बनाम स्टेट आफ यूपी (इलाहाबाद) 2011 (2) जे.सीआर.सी. 1142 के प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है कि आरोप बनाते समय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के मूल्यांकन से यही जानना चाहिये कि क्या प्रथम दृष्टया आवश्यक तत्व स्थापित हो रहें हैं। साक्ष्य के अधिमूल्यन की आवश्यकता नहीं है।

दिनेश तिवारी बनाम स्टेट आफ यूपी 2014 (86) ए.सी.सी. 872 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है कि आरोप बनाने के लिये न्यायाधीश के लिये आवश्यक नही है कि आरोप बनाने के क्या कारण हैं, यह अभिलिखित करें। यदि न्यायालय के दृष्टिकोण में ऐसे आधार उपलब्ध

हैं कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है तब वह उस अपराध का आरोप बनाने के लिये सक्षम है, भले ही वह अपराध आरोपपत्र में सम्मिलित न हो।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रकार से उल्लिखित विधि व्यवस्था तथा न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में विचार करें तो पत्रावली के सम्यक् रूपेण परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि विवेचक द्वारा विधिवत रूप से नक्शा नजरी तैयार करते हुए और पीड़ित पक्ष के व्यक्तियों और साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा—161 दं0प्र0सं0 अंकित करते हुए अभियुक्त हृदेश समाधिया के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के सम्यक् रूपेण परिशीलन से यह तथ्य भी दर्शित होता है कि शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल बरामदगी अभी शेष है और उनके विरूद्ध विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा मोहनलाल चौरसिया, पीड़िता श्रीमती हिमांशी चौरसिया के जो बयान अंकित किये गये हैं, जिनका उल्लेख केस डायरी के पर्चा नं0—2 में है, उससे अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा मारपीट, लूटपाट, छेड़खानी किये जाने का तथ्य प्रथम दृष्ट्या दर्शित होता है। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा मोहनलाल चौरसिया के पुत्र कपिल चौरसिया व गौतम चौरसिया जो कि उपहत / आहत व्यक्ति भी हैं, के भी बयान अंकित किये गये हैं जिसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा नं0—9 में है। साक्षी कपिल चौरसिया के बयान अन्तर्गत धारा—161 दं0प्र0सं0 से अभियुक्त हृदेश समाधिया द्वारा उसका तथा उसकी पत्नी का वीडियो बनाये जाने, अभद्रता करने, मारपीट करने तथा घटना में मंगलसूत्र व हार गिर जाने सम्बन्धी कथन किये गये हैं।

यद्यपि साक्षी कपिल चौरसिया ने उसकी पत्नी के मंगलसूत्र व हार गिर जाने और घटना कारित करने वाले व्यक्तियों में किसी के द्वारा उक्त गहने ले जाये जाने के सम्बन्ध में कथन किये हैं, परन्तु हिमांशी चौरसिया ने घटना कारित करने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके देवर से 22,000 / —रूपये, उसके पति की सोने की अंगूठी, उसका हार व मंगलसूत्र छीन लिये जाने के सम्बन्ध में अपने बयान अन्तर्गत धारा—161 दं0प्र0सं0 में कथन किये गये हैं। पीड़िता श्रीमती हिमांशी चौरसिया के जो बयान अन्तर्गत धारा—161 दं0प्र0सं0 अंकित हुए हैं, जिसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा नं0—18 में है, उससे भी अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा श्रीमती हिमांशी चौरसिया का मंगलसूत्र व हार छीन लिये जाने का तथ्य दर्शित होता है।

उक्त स्थिति में जबकि आरोप के स्तर पर न्यायालय द्वारा मिनी ट्रायल के रूप में विचार नहीं हो सकता है, तो न्यायालय के मत में अभियुक्त हृदेश समाधिया पर आरोप अन्तर्गत धारा—147, 354घ, 323, 325, 392 भा0दं0सं0 विरचित करने के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं और न्यायालय के मत में

विशेष वाद सं0–22 / 2022
UPMB010004282022
राज्य बनाम हृदेश समाधिया
मु0अ0सं0–521 / 2021

अभियुक्त हृदेश समाधिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–227 / 228(1)ए दं0प्र0सं0 स्वीकार होने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त हृदेश समाधिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–227 / 228(1)ए दं0प्र0सं0 निष्कर्षानुसार निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त पर आरोप अन्तर्गत धारा–147, 354घ, 323, 325, 392 भा0दं0सं0 विरचित किये जाने के प्रथम दृष्टया उचित आधार दर्शित होते हैं। अतः पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक–20.04.2022 को पेश हो।

दिनांक–08.04.2022

(राजीव कुमार पालीवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1 /
विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0 महोबा।
J.O No.U.P-6305

Digitally signed by Rajeev Kumar Paliwal
Date: 2022.04.08 16:25:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court